A. K. Gupta
Managing Director

प्रभास्मि शशि सूर्ययोः

Jaipur Vidyut Vitran Nigam Limited
Vidyut Bhawan, Jan Path, Jaipur-302005

क्र0जेपीडी / प्रनि / अधी.अभि.(आर.ई.) / प्रे0 1134 जयपुर, दि0 : 02/01/19

आदेश

1. निर्धारित क्षमताओं के डिस्ट्रीब्युशन ट्रांसफार्मर की अनुपलब्धता के कारण वरियता की वजह से कृषि कनेक्शन जारी करने में विलम्ब नहीं हो, इसके लिए आदेश क्रमांक 953 दिनांक 01.11.2018 द्वारा निर्देशित किया गया था कि 10 केवीए, 16 केवीए व 25 केवीए एवं अन्य क्षमताओं के ट्रांसफार्मर के अनुसार ही कृषि कनेक्शन की वरियता पृथक पृथक रखी जावे।

   इस संदर्भ में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश के तहत शीघ्रताशीघ्र कनेक्शन जारी करवाया जाना सूनिश्चित करे।

2. आदेश संख्या 670 दिनांक 31.08.2018 के द्वारा बिन्दू संख्या 05 व 06 पर निर्देशित किया गया था कि :–

   बिन्दू संख्या 05 :– यदि आवेदक कनेक्शन लेने की स्थिति में नहीं है, जैसे कनेक्शन हेतु मोटर–फिटिंग पूर्ण नहीं है, तो उसका ट्रांसफार्मर स्थापित नहीं किया जायेगा लेकिन उसकी वजह से अगली प्राथमिकता वाले कनेक्शनों को नहीं रोका जावेगा।

   बिन्दू संख्या 06 :– ऐसे आवेदक जिनके बिन्दू 05 के अनुरूप ट्रांसफार्मर स्थापित नहीं किये गये है, उनकी भविष्य में बिलिंग ट्रांसफार्मर स्थापित होने की दिनांक से ही की जावे।

   उक्त निर्देश रबी सीज़न शुरू होने में समय रहने के कारण जारी किये गये थे लेकिन वर्तमान में रबी सीज़न चल रहा है, अतः उक्त दोनो प्रावधानों को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है।

   "यदि आवेदक कनेक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है तो उसका जॉब कार्य नहीं किया जावे एवं उसको निगम नियमानुसार नोटिस जारी कर अग्रिम वरियता वाले आवेदक के कनेक्शन की कार्यवाही की जावे। इस तरह के आवेदको के यदि पूर्व में जॉब कार्य पूर्ण कर दिया गया है तो उसे नोटिस जारी कर कनेक्शन नहीं लेने के कारणों का पता किया जावे व उचित कारण न होने की स्थिति में उसे सूचना देकर प्राथमिकता से मुक्त किया जाना चाहिए।"

(ए.के. गुप्ता)
प्रबन्ध निदेशक

Tel. No. : (0141) 2741134 (O) • Fax No. : (0141) 2742064 • E-mail : md@jvvnl.org

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1.अध्यक्ष राजस्थान डिस्कॉम्स, जयपुर।
2.निदेशक (तकनीकी / वित्त), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
3.सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (जयपुर / भरतपुर / कोटा), जयपुर डिस्कॉम ,जयपुर / भरतपुर / कोटा।
4.मुख्य अभियन्ता (एम एम / मुख्यालय / एम एण्ड पी एण्ड आई टी / क्यू सी एण्ड सेफ्टी), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
5.अधीक्षण अभियन्ता (पवस / जे.सी.सी. / जेपीडीसी / एम.आई.एस. / प्लान / विधि) जयपुर डिस्कॉम,,..........
6.अधीक्षण अभियन्ता (आई.टी) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर
7.प्रावेधिक सहायक काबीना मंत्री ऊर्जा विभाग, विद्युत भवन, जयपुर।
8. अधिशाषी अभियंता (ग्रिवीन्सेज), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
9. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
10. इन्चार्ज, कन्ट्रोल रूम मुख्य अभियन्ता (जयपुर जोन) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।

2/1/19

अति. मुख्य अभियन्ता (पी.पी.एम)
जयपुर डिस्कॉम, जयपुर